



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
 भाग-4, खण्ड (ख)
 (परिनियत आदेश)

लखनऊ, सोमवार, 27 जुलाई, 2020
 श्रावण 5, 1942 शक सम्बत्

उत्तर प्रदेश शासन
 लोक निर्माण अनुभाग-2

संख्या 256/23-2-2020-34(सा10)-2020
 लखनऊ, 27 जुलाई, 2020

अधिसूचना

प०आ०-278

चूँकि राज्य सरकार की यह राय है कि जिला मीरजापुर में गंगा नदी पर स्थित गांगपुर घाट पर एक नए सार्वजनिक नौघाट की आवश्यकता है;

अतएव, अब, उत्तरी भारत नौघाट अधिनियम, 1878 (अधिनियम संख्या 17 सन् 1878) की धारा 4 के खण्ड (ग) और (घ) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से नीचे अनुसूची में यथा दर्शित सीमाओं के भीतर जिला मीरजापुर में गांगपुर घाट पर एक नया सार्वजनिक नौघाट स्थापित करती हैं।

उक्त अधिनियम की धारा 6 के अधीन, राज्यपाल अग्रतर निदेश देती हैं कि पूर्वोक्त दिनांक से, जिला मीरजापुर में गांगपुर घाट पर पूर्वोक्त सार्वजनिक नौघाट का तत्कालिक अधीक्षण, अधीक्षण अभियन्ता, मीरजापुर वृत्त, लोक निर्माण विभाग, मीरजापुर में निहित होगा।

अनुसूची

जिले का नाम	नदी के दोनों ओर परगना के नाम	नदी के दोनों ओर पर ग्राम के नाम	नदी का नाम जिस पर नौघाट स्थापित किया जाना है	नौघाट का नाम
1	2	3	4	5
मीरजापुर	हवेली (चुनार) रामनगर (वाराणसी)	गांगपुर और बेटावर	गंगा नदी	गांगपुर घाट

नौघाट की सीमा				
नौघाट की श्रेणी	धारा के ऊपर की ओर	दूरी	धारा के नीचे की ओर	दूरी
6	7	8	9	10
“बी”	चुनार मीरजापुर	18.00 कि०मी०	रामनगर, वाराणसी	15.00 कि०मी०

आज्ञा से,
नितिन रमेश गोकर्ण,
प्रमुख सचिव।

THE Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 256/XXIII-II-2020-34(Sa)-2020, dated July 27, 2020 for general information:

No. 256/XXIII-II-2020-34(Sa)-2020

Dated Lucknow, July 27, 2020

WHEREAS the State Government is of the opinion that a new public ferry is needed on the river Ganga at Gangpur Ghat in district Mirzapur;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers under clauses (c) and (d) of section 4 of the Northern India Ferries Act, 1878 (Act no. XVII of 1878), the Governor is pleased to establish, with effect from the date of publication of this notification in the *Gazette*, a new public ferry on the Gangpur Ghat in district Mirzapur within its limits as shown in the Schedule below.

Under section 6 of the said Act, the Governor is further pleased to direct that with effect from the aforesaid date, the immediate superintendence of the aforesaid public ferry at Gangpur Ghat in district Mirzapur shall vest in the Superintending Engineer, Mirzapur Circle, Lok Nirman Vibhag, Mirzapur.

SCHEDULE

Name of District	Name of the Pargana on both sides of the river	Name of Village on both sides of the river	Name of the river on which ferry is to be established	Name of the Ferry
1	2	3	4	5
Mirzapur	Haveli (Chunar) Ramnagar (Varanasi)	Gangpur and Betawar	Ganga River	Gangpur Ghat

Class of Ferry	Limit of Ferry			
	Upstream	Distance	Down Stream	Distance
6	7	8	9	10
"B"	Chunar Mirzapur	18.00 Km.	Ramnagar, Varanasi	15.00 Km.

By order,
NITIN RAMESH GOKARN,
Pramukh Sachiv.